

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां,

जिला- बुन्दी (राज.)
उपखण्ड

20/11/21

पृष्ठ

हस्ताक्षर या कार्यवाही मध्य इतिहासिकात्मक तालिका

किसी भी जातीय
असमानता को दूर
करने की नीति
में जारी है।

5-9-21

भाव पत्र/ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत द्वारा 212 ख-अ-ए
द्वारा वकील श्री राज-इ-नागर पेश किया गया।
सारेस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली वर्ज रजिस्टर की जाकर
प्रतिवादीगण/अप्राथीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दि. 23-9-21
को पेश हो।

23-9-21

पत्रावली प्रशासन गांवों के लगे अभियान
2021 के तहत केम्प कोर्ट में दिनांक 23/10/21
को पेश हो।

25-10-21

पत्रावली प्रशासन गांवों के लगे अभियान के तहत
केम्प कोर्ट मुठासदावर्तिया में आज पेश हुई।
मूल वाद में प्राथमिक डिब्बी ही जाने से यह
शुद्ध सारहीन होने से खारिज किया जाता
है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली बाद तत्काल
मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बुन्दी)

